न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 150/2023 ता0 रजू 31.10.2023

GCMS ID-2023/325

उनवान

1. कंवरा आ0 बालू जाति मीणा निवासी ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. कैलाश आ0 देवा जाति मीणा निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नन्दू पुत्री देवा पत्नी मनोहरलाल निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. छाउबाई पुत्री देवी पत्नी भोमा जाति मीणा निवासी बसोली हाल निवासी बींद्याभाटा पेट्रोल पंप के पास जहाजपुर जिला भीलवाडा।
4. मांगीलाल आ0 देवा जाति मीणा निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. कालू आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. रमेश आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. सत्यनारायण आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी थाने के सामने ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

श्री शम्भूदयाल शर्मा अधि0 वादी

एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी 1 लगायत 7

आदेश

दिनांकः–27.01.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.0405 है0, खसरा संख्या 316 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा सख्या 317 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 318/2068 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1319/6069 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.3399 हक्टेयर, खसरा संख्या 321/2071 रकबा 0.0971 हैक्टेयर,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खसरा संख्या 385 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386 रकबा 0.2516 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.3912 हैक्टेयर वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो जमाबंदी संवत से 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 106 में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी व अन्य सहखातेदारों ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। वादी के पिता बालू के 2 पुत्र कल्याण व कंवरा पैदा हुए है सत्यनारायण हैं तथा वादी के पिता बालू के भाई का लडका देवा था जिसके वारिस नन्दू, मांगीलाल, छाउबाई व कैलाश है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं और वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामिलाती चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि की सिंचाई हेतु मौके पर कुंआ खसरा संख्या 317 खुदवा रखा है जिस पर वादी व मांगीलाल के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। जिससे वादग्रस्त भूमि की सिंचाई करते है। वादी व प्रतिवादीगण मौके पर हिस्से अनुसार काबिज है। वादी का खाता शामलाती होने के कारण अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी की भूमि की मेडों को तोडते हैं तथा आम रास्ते से भूमि पर होकर कुंए पर जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करते हैं, जिससे वादी अपनी भूमि पर उपयोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी की भूमि पर व चाह पर जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर देने से वादी चाह का उपयोग भी नहीं कर पा रहा है तथा अपनी भूमि पर फसल भी नही बो पा रहा है। प्रार्थी की भूमि रास्ते के अभाव में वर्तमान में पडत पडी है। ऐसी स्थिति में वादी ने प्रतिवादीगण से शामलाती चाह के रास्ते को खुलासा करने से इंकार हो गए और प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते पर अवरोध करने से वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाना बसोली में रिपोर्ट पेश की लेकिन पुलिस द्वारा खाता शामलाती होने की कहकर व शामलाती खाते की भूमि के प्रत्येक नंबर पर सभी सहखातेदारों का हिस्सा होना मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तब वादी ने पुलिस अधीक्षक बूंदी को दिनांक 01.09.2023 को रजिस्टर्ड डाक से रिपोर्ट पेश की व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को भी इस संबंध में रिपोर्ट पेश की जिसको श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार हिण्डोली को कार्यवाही करने हेतु लिखा लेकिन तहसीलदार साहब ने बंटवारा करवाए बिना शामलाती चाह का रास्ता खुलासा करवाने से इंकार कर दिया है ऐसी स्थिति में वादी के समक्ष वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का बंटवारास करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.10.2023 को वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से चाह पर आने जाने हेतु रास्ता सुरक्षित रखते हुए व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

चाह का रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हुए शेष भूमि का हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादीगण भूमि का बंटवारा करवाने से इंकार हो गए है। साथ ही वादी को धमकी दी कि हम चाह पर जाने के रास्ते को भी खुलासा नहीं करेगे और तुम्हे चाह से पानी भी नहीं पिलाने देंगे तथा भूमि पर भी नहीं जाने देंगे यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वाद कारण अंतिक रूप से दिनांक 15.10.2023 को उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादग्रस्त भूमि में स्थित चाह खसरा संख्या 317 पर आने जाने हेतु शामलाती खाते की भूमि में से रास्ते दर्ज करवाकर शेष भूमि का हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा करवावे एवं वादी का खाता पृथक कायम करवावे तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करें साथ ही चाह व भूमि पर आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं होने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे। शामलाती चाह पर व भूमि पर आने जाने का वादी को अधिकार है। प्रतिवादीगण को चाह के रास्ते पर कब्जा करने व चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। शामलाती भूमि के प्रत्येक खसरा संख्या के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों का हक व अधिकार है। इस कारण प्रतिवादीगण को चाह के रास्ते पर दखअंदाजी करने व रास्ते को बंद करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है। बंटवारे के वाद में भूमिधारी सरकार आवश्यक पक्षकार होने से सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 8 बनाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.0405 है0, खसरा संख्या 316 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा सख्या 317 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 318/2068 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1319/6069 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.3399 हक्टेयर, खसरा संख्या 321/2071 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 385 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386 रकबा 0.2516 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.3912 हैक्टेयर वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में चाह खसरा संख्या 317 पर आने जाने हेतु शामलाती खाते में से 15 फीट चौडा रास्ता दर्ज करते हुए शेष भूमि का सहखातेदारों के मध्य हिस्से अनुसार भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथम कायम किया जावे एवं बंटवारे में प्राप्त वादी के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की भूमि पर वादी को स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे। शामलाती चाहा पर खसरा संख्या 317 पर आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, रास्ते को सकडा नहीं करने, रास्ते पर कब्जा नहीं करने, चाह के रकबे पर कब्जा नहीं करने तथा चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने में व वादी के हिस्से की भूमि पर आने जाने व काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जिसे वादी पाने का हकदार हो प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 01 लगायत 07 वाबजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 106 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह दर्ज करवाए गए।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 05.04.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/24/1500 दिनांकः– 14.06.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम बसोली की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	कंवरा पुत्र बालू हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार	388/1	0.8108
	योग	किता— 1	0.8108
2.	1. कैलाश पुत्र देवा हिस्सा 5/18 जाति मीना रहिन बदस्तूर जमाबन्दी।	388/2	0.5408
		314	0.2106
	2. कैलाश पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 जाति मीना रहिन बदस्तूर जमाबन्दी।	315	0.0285
		316	0.1662
	3. छाऊ बाई पुत्री हिस्सा 1/18 जाति मीना	318/2068	0.1052
	4. नन्दू बाई पुत्री देवा हिस्सा 1/18 जाति मीना	319/2069	0.1133
	5. मांगीलाल पुत्र देवा हिस्सा 5/18 जाति मीना रहिन बदस्तूर जमाबन्दी।	320	0.3399
		321/2071	0.0971
	6. रमेश पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 जाति मीना रहिन बदस्तूर जमाबन्दी।	385	0.3460
		386	0.2421
	7. सत्यनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 1/9 जाति मीना रहिन बदस्तूर जमाबन्दी।	387	0.2428
	योग	किता—11	2.4325
3.	बदस्तूर जमाबन्दी खातेदार	317	0.0567
		314	0.0160
		315	0.0120
		316	0.0200
		385	0.0344
		386	0.088
	योग	किता—6	0.1479

नक्शे में वादी व प्रतिवादी के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को लाल पेन से दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)